

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

जग्यपुर, दिनांक 16.06.2013

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश रावं साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मार्गेट आल्बा, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देती हूँ कि किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80-एल-1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वासा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अन्यर्थियों से भरी जायेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :—


1. जहाँ भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहाँ ऐसे समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिये आरक्षित की जायेंगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

2. जहाँ भर्ती जिला स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित खण्ड के लिये रिक्तियाँ प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के, स्थानीय सदस्यों से तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेगी।
3. जहाँ भर्ती राज्य स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के लिये रिक्तियाँ प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेगी जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के, स्थानीय सदस्यों से तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेगी।
4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/ उपखण्ड/ विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/ उपखण्ड / विकास खण्ड में जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/ विकास खण्डों में उपलब्ध स्थानीय जनजाति के योग्य

अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियाँ भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

5. राज्य रत्तर अथवा जिला रत्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य / जिले की शेष रिक्तियाँ विद्यमान निरामों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिये 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिये 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिये 1 प्रतिशत आरक्षण की बजनूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

ह०/-  
(मार्गीट आल्बा)  
राज्यपाल, राजस्थान  
(सं. एफ.13(20)कार्पिक/क-2/91/गाठ)

  
16/6/13  
(दिनेश कुमार यादव)  
संयुक्त शासन सचिव

40/2013